अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

भाग-ख
शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-3
शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 पृष्ठभूमि

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं शहरी स्थानीय निकायों को निधियों एवं पदाधिकारियों सहित संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों **(परिशिष्ट-1)** के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह अधिनियम जून 1993 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य (अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर) हस्तांतरित कर दिए गए हैं; तथापि शहरी स्थानीय निकायों को तदनुसार निधियां एवं पदाधिकारी उपलब्ध कराया जाना अभी शेष हैं।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी हैं (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणामों को अध्याय-4 में सम्मिलित किया गया है।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

31 मार्च 2019 तक राज्य में दो नगर निगम, 31 नगर परिषदें तथा 21 नगर पंचायतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव (शहरी विकास) के पास है। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :

संगठनात्मक ढांचा

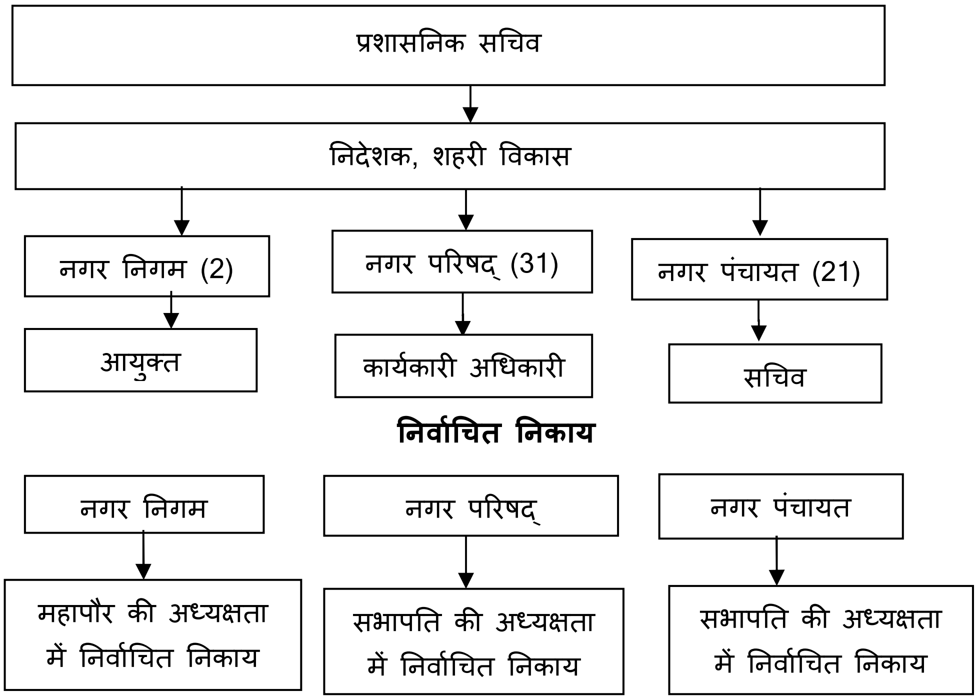

3.3.1 स्थाई समितियां

वित्तीय मामलों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न स्थाई समितियों का विवरण नीचे **तालिका-9** में दिया गया है:

तालिका-9: स्थाई समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	स्थापना मामलों, संचार, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत के प्रावधान, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति		नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा व प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा एवं वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है

स्रोत: हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994

3.3.2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु परियोजना अनुभाग में परियोजना अधिकारी का एक तथा सांख्यिकीय सहायक के दो पद स्वीकृत किए हैं। 2017-18 के दौरान सांख्यिकीय सहायक के पद रिक्त थे।

तालिका: शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न संवर्गों के कर्मियों की स्थिति का विवरण

वर्ष	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्तता की प्रतिशतता
2017-18	3,754	1,194	(32 प्रतिशत)
2018-19	3,749	1,230	(33 प्रतिशत)

3.4 वित्तीय रूपरेखा

3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों में निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में मुख्यतः (क) केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा (घ) राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त करों, किरायों, शुल्कों इत्यादि के रूप में भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व जुटाया जाता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का विवरण नीचे **तालिका-10** में दिया गया है:

तालिका-10: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्व राजस्व		118.04	128.60	173.20	161.18	288.68
2.	ऋण		0.03	0.43	0	0	0.01
3.	केंद्र सरकार से वित्त आयोग अनुदान		22.52	24.55	34.87	30.98	17.92
4.	राज्य सरकार से वित्त आयोग अनुदान		72.40	85.51	99.45	111.36	120.74
5.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	केन्द्रीय अंश	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
		राज्यांश	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार अनुदान		34.55	67.15	75.08	76.62	221.94
योग			**339.02**	**465.87**	**755.58**	**433.52**	**794.91**

स्रोत*:* निदेशक, शहरी विकास विभाग एवं आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

केंद्र सरकार अनुदान: केंद्र प्रायोजित सात योजनाएं हैं: (i) नवीकरण और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत) (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए घर (शहरी) (iii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (iv) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (v) छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (vi) स्मार्ट सिटी मिशन तथा (vii) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु शहरी स्थानीय निकायों को इन योजनाओं के तहत आवंटित निधियों की स्थिति नीचे **तालिका-11** में विवर्णित है:

तालिका-11: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	90.93	92.07	--	3.97	--	**186.97**
छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना	0.13	27.75	105.83	--	--	**133.71**
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	--	6.71	6.58	6.86	2.66	**22.81**
अमृत	--	22.48	24.06	23.33	36.00	**105.87**
स्मार्ट सिटी मिशन	--	2.00	208.89	--	78.00	**288.89**
प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए घर (शहरी)	--	0.73	16.57	19.22	22.06	**36.52**
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी	--	7.69	11.06	--	6.89	**25.64**
योग	**91.06**	**159.43**	**372.99**	**53.38**	**145.61**	**822.47**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग।

राज्य सरकार अनुदान: 2014-15 से 2018-19 की अवधि में इन योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका-12** में दिया गया है:

तालिका-12: प्रमुख राज्य योजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
विश्व बैंक सहायता प्राप्त बड़ी योजनाएं	--	--	--	--	143.53	**143.53**
सीवरेज योजनाएं	23.00	24.00	32.50	23.42	25.00	**127.92**
सीवरेज रखरखाव	5.00	8.40	9.05	20.00	18.21	**60.66**

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
मर्जड एरिया (विलय क्षेत्र) अनुदान	--	3.00	3.00	3.00	3.00	**12.00**
पार्किंग	--	15.00	9.38	10.00	10.00	**44.38**
बगीचों का विकास	--	--	9.30	10.00	10.00	**29.30**
लक्ष्य योजनाएं	--	--	1.20	1.20	1.20	**3.60**
योग	**28.00**	**50.40**	**64.43**	**67.62**	**210.94**	**421.39**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग।

शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न स्त्रोतों से आवंटित निधियों को बैंकों में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य अनुदान का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जबकि शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की प्राप्तियों का उपयोग प्रशासनिक खर्चों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है।

3.4.2 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग नीचे **तालिका-13** में दिया गया है:

तालिका-13: संसाधनों का क्षेत्रवार अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="2">विवरण</th><th>2014-15</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">स्व राजस्व</td><td rowspan="2">150.78*</td><td rowspan="2">167.20*</td><td rowspan="2">229.78*</td><td rowspan="2">268.17*</td><td rowspan="2">370.24*</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">ऋण</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">केंद्र सरकार के वित्तायोग अनुदान से हुआ व्यय एवं केंद्र सरकार से अनुदान</td><td>22.52</td><td>24.55</td><td>34.87</td><td>30.98</td><td>17.92</td></tr>
<tr><td>4.</td><td rowspan="2">केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान से व्यय</td><td>केन्द्रीय अंश से व्यय</td><td>91.43</td><td>130.47</td><td>336.28</td><td>48.05</td><td>125.08</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>राज्यांश से व्यय</td><td>0.05</td><td>29.16</td><td>36.70</td><td>5.33</td><td>20.54</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">राज्य सरकार के वित्तायोग अनुदान से हुआ व्यय एवं राज्य सरकार से अनुदान</td><td>72.40</td><td>85.51</td><td>99.45</td><td>111.36</td><td>120.74</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार से व्यय</td><td>34.55</td><td>67.15</td><td>75.08</td><td>76.62</td><td>221.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग</td><td>371.73</td><td>504.04</td><td>812.16</td><td>540.51</td><td>876.46</td></tr>
</table>

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

* विभाग के पास अलग-अलग आंकडें उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों में अन्तशेष भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवायी गयी समस्त निधियां बुनियादी स्तर पर वास्तविक व्यय के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाई गई है। शहरी विकास विभाग के पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए व्यय के सटीक आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय को नियंत्रित करने/समीक्षा करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति में अनियमितता एवं कमज़ोर नियंत्रण प्रणाली में थी जिसकी अध्याय-4 में चर्चा की गई है।

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों (2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु) तथा 14 शहरी स्थानीय निकायों (2015-16 से 2018-19 की अवधि हेतु) में वास्तविक व्यय के आंकडें अध्याय-4 की तालिका-15 (i) व (ii) में सम्मिलित किये गए हैं।

3.5 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता और गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त उनके आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गयी कमजोरियों तथा कमियों का उल्लेख अध्याय-4 में किया गया है।

3.6 शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आतंरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की एक पृथक व स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा की जानी है। शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 26 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई। इन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल हैं जो हिमाचल

प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आय व व्यय पर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक, शहरी विकास के नियंत्रण में पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है।

3.7 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152-154 के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गई है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु लेखापरीक्षा योजना प्राथमिक लेखा परीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) से प्राप्त हुई तथा इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना की प्रक्रिया के लिए दर्ज की गई।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति एवं लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं का पालन किया।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में से पांच निरीक्षण प्रतिवेदनों (प्रत्येक वर्ष में) की समीक्षा की गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया तथा सुधार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशें की गईं। निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय को निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

(i) लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाते समय संदर्भित नियमों का अलग परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

(ii) लेखापरीक्षिती इकाई को लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किया जाए।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी के उत्तर को लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्मिलित किया जाए।

(iv) गणना को तालिका प्रारूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों के दौरान सुधार हेतु कुछ इसी तरह की सिफारिशें की गई थीं, लेकिन कमियां बनी रहीं, जो इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग ने इसे दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफ को उनकी आवश्यकतानुसार हर साल दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2017-18 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 24 प्रतिभागियों को 8 व 9 फरवरी 2018 को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) वित्त, कराधान एवं दावों की वसूली के संबंध में सांविधिक प्रावधान (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां, उनका संचालन, अनुप्रयोग एवं निवेश (iii) बजट, व्यय व भंडार (iv) लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक निर्माण नियम तथा (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय एवं इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश। 2018-19 के दौरान, 11 और 12 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 25 प्रतिभागियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) पीआरआईए सॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली) (ii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की लेखापरीक्षा; तथा (iii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा मांगों, मुख्य दस्तावेज व लेखापरीक्षा रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।

3.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 की नमूना जांच की गई तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किया गया। 2017-18 के दौरान दो नगर निगम, छः नगर परिषदों तथा चार नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई **(परिशिष्ट-3(i))**। वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 14 शहरी स्थानीय निकायों (दो नगर निगमों, सात नगर परिषदों और पांच नगर पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किये गए **(परिशिष्ट-3(ii))**। उन प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के अध्याय-4 में सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करे।

3.9 अनुपालना हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां

शहरी स्थानीय निकायों से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों में उजागर दोषों/चूकों को सुधारने एवं आपत्तियों के समायोजन की अनुपालना की सूचना देना अपेक्षित है।

31 मार्च 2019 तक जारी, निपटाए गए/ हटाए गए तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों का विवरण नीचे **तालिका-14** में दिया गया है:

तालिका-14: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		वर्ष 2018-19 के दौरान योग		कुल		2018-19 के दौरान समायोजित/निरस्त किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2014-15 तक	157	1,013	-	-	157	1,013	-	43	157	970
2.	2015-16	16	134	-	-	16	134	-	12	16	122
3.	2016-17	16	176	-	-	16	176	-	4	16	172
4.	2017-18	12	133	-	-	12	133	-	7	12	126
5.	2018-19	-	-	14	186	14	186	-	-	14	186
योग		**201**	**1,456**	**14**	**186**	**215**	**1,642**	-	**66**	**215**	**1,576**

निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों के निपटान हेतु पत्राचार किया जा रहा है, इसके बावजूद निपटान के लिए लंबित परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है जो अपेक्षित गंभीरता एवं प्रभावी कार्रवाई के अभाव का परिचायक है जो जवाबदेही को कमज़ोर करता है।